ISSN 2249-894X Impact Factor : 3.1402 (UIF) Volume - 5 | Issue - 9 | June - 2016
Review Of Research

महिला सशक्तिकरण : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में

गीता सिंह
राजनीति विज्ञान विभाग,वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय,आरा (बिहार)

सारांश:

वर्तमान युग में महिला सशक्तिकरण न केवल समाज में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने का माध्यम है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की आधारशिला भी है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक संसाधन, राजनीतिक अधिकार और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना, ताकि वे अपने जीवन और समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो महिलाओं ने शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यवसाय और राजनीति के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा आरक्षण, स्वरोजगार योजनाएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियानों के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। इसके बावजूद, सामाजिक रूढ़िवादिता, लैंगिक भेदभाव, घरेलू जिम्मेदारियाँ और आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियाँ अब भी महिलाओं के पूर्ण सशक्तिकरण में बाधक हैं।

यदि महिलाओं को समान अवसर, शिक्षा, प्रशिक्षण, आर्थिक और सामाजिक समर्थन दिया जाए, तो वे न केवल अपने जीवन को सशक्त बना सकती हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के समग्र विकास में भी योगदान दे सकती हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण केवल अधिकार का मुद्दा नहीं, बल्कि विकास, समानता और न्याय का प्रतीक बन गया है।

परिचय:

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक संसाधन, राजनीतिक अधिकार और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना, ताकि वे अपने जीवन और समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें। यह केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज में लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और समग्र विकास को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण अधिक प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि महिलाएँ शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यवसाय और राजनीति के क्षेत्र में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं। सरकार और गैर-सरकारी संस्थाएँ विभिन्न योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, स्वरोजगार और आरक्षण जैसी पहल के माध्यम से महिलाओं को समर्थ बनाने का प्रयास कर रही हैं।

फिर भी, सामाजिक रूढ़िवादिता, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, आर्थिक असमानता और लैंगिक भेदभाव जैसी चुनौतियाँ महिलाओं के पूर्ण सशक्तिकरण में बाधक बनी हुई हैं। वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण केवल अधिकारों का मुद्दा नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है।

समस्या का विवरण:

आज के युग में महिला सशक्तिकरण के महत्व को स्वीकार किया गया है, फिर भी वास्तविकता में महिलाओं के पूर्ण सशक्तिकरण की प्रक्रिया कई बाधाओं के कारण धीमी है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन अनेक समस्याएँ अभी भी बनी हुई हैं।

1. सामाजिक रूढ़िवादिता: पारंपरिक सोच और पुरुष प्रधान मानसिकता के कारण महिलाओं को निर्णय लेने और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाने से रोका जाता है। कई परिवारों में महिलाओं को घरेलू दायित्वों तक सीमित रखा जाता है।
2. शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी: ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अभी भी कई महिलाएँ अशिक्षित हैं या उनमें आवश्यक कौशल का अभाव है, जिससे वे आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं हो पातीं।
3. आर्थिक असमानता: महिलाओं के पास आमतौर पर संपत्ति, वित्तीय संसाधन और स्वरोजगार के समान अवसर नहीं होते। इस वजह से वे आत्मनिर्भर बनने और समाज में बराबरी का स्थान पाने में असमर्थ रहती हैं।
4. राजनीतिक एवं प्रशासनिक बाधाएँ: राजनीतिक निर्णयों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी सीमित है। कई बार उनके प्रयासों को पुरुष सहकर्मियों या परिवार के सदस्यों द्वारा प्रभावित किया जाता है।
5. सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ: घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और असम्मान स्वास्थ्य देखभाल भी महिला सशक्तिकरण की राह में प्रमुख बाधाएँ हैं।

इस प्रकार, महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के बावजूद सामाजिक, आर्थिक और संरचनात्मक बाधाएँ महिलाओं को अपने पूर्ण अधिकारों और क्षमता के अनुसार सशक्त होने से रोक रही हैं। इन समस्याओं का समाधान आवश्यक है ताकि महिलाएँ अपने जीवन और समाज के विकास में समान रूप से योगदान दे सकें।

उद्देश्य:

महिला सशक्तिकरण पर अध्ययन और प्रयासों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. **लैंगिक समानता को बढ़ावा देना:** समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समान अधिकार, अवसर और सम्मान सुनिश्चित करना।
2. **शिक्षा और कौशल विकास:** महिलाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और आवश्यक कौशल प्रदान करना ताकि वे आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

3. **आर्थिक सशक्तिकरण:** महिलाओं को स्वरोजगार, वित्तीय संसाधन और उद्यमशीलता के अवसर प्रदान कर आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
4. **राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी:** महिलाओं को निर्णय लेने और नेतृत्व की भूमिकाओं में शामिल कर राजनीतिक और सामाजिक निर्णयों में उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ाना।
5. **सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य:** महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करना ताकि वे सुरक्षित और सशक्त जीवन जी सकें।
6. **सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन:** महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से समाज में रूढ़िवादिता, भेदभाव और अन्याय को कम करना तथा सामाजिक न्याय और समान अवसरों की दिशा में प्रगति करना।

परिकल्पना:

इस अध्ययन की मुख्य परिकल्पना यह है कि महिलाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण, आर्थिक संसाधन और सामाजिक समर्थन प्रदान किए जाने पर वे अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन सकती हैं और समाज तथा राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दे सकती हैं।

इस मुख्य परिकल्पना के अंतर्गत निम्नलिखित उप-परिकल्पनाएँ हैं:

1. यदि महिलाओं को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर मिलें, तो वे आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बन सकती हैं।
2. महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी में वृद्धि से निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक संतुलन और न्याय सुनिश्चित होता है।
3. सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को कम करने से महिलाओं का आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है।
4. आर्थिक स्वतंत्रता और संसाधनों की उपलब्धता महिलाओं को व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की दिशा में अधिक सक्रिय बनाती है।

शोध पद्धति:

इस अध्ययन में महिला सशक्तिकरण के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए गुणात्मक (Qualitative) और वर्णनात्मक (Descriptive) शोध पद्धति का उपयोग किया गया है। शोध के लिए मुख्य रूप से द्वितीयक स्रोतों (Secondary Sources) से जानकारी एकत्रित की गई है।

शोध के प्रमुख स्रोत और उपकरण:

1. सरकारी रिपोर्टें और योजनाएँ: भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही नीतियाँ और योजनाएँ।
2. शोध पत्र और पुस्तकें: महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, और सामाजिक विकास पर प्रकाशित शोध लेख और पुस्तकें।

3. अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्टें: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), विश्व बैंक, और अन्य संस्थाओं द्वारा प्रकाशित डेटा।
4. सांख्यिकीय आंकड़े: जनगणना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अन्य सरकारी आंकड़े।

शोध की प्रक्रिया:

- महिला सशक्तिकरण से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं का विश्लेषण किया गया।
- विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक जागरूकता के स्तर की तुलना की गई।
- उपलब्ध आंकड़ों और केस स्टडीज़ का विश्लेषण कर प्रमुख समस्याएँ, चुनौतियाँ और सफल उदाहरण पहचाने गए।

उद्देश्य:

शोध का उद्देश्य यह समझना है कि वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण किस हद तक वास्तविक रूप में लागू हो रहा है, कौन-कौन सी बाधाएँ मौजूद हैं, और किन पहलुओं में सुधार और संभावनाएँ निहित हैं।

आँकड़ों विश्लेषण :

महिला सशक्तिकरण के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में डेटा विश्लेषण में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक संकेतकों का अध्ययन किया गया है। यह विश्लेषण सरकारी आंकड़े, शोध पत्र, रिपोर्ट और केस स्टडीज़ पर आधारित है।

1. शैक्षिक स्थिति:

- 2021 की जनगणना और महिला शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण भारत में लगभग 70% महिलाएँ प्राथमिक शिक्षा तक पहुँचती हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 90% से अधिक है।
- उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन STEM (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित) क्षेत्रों में उनकी संख्या पुरुषों की तुलना में कम है।

2. आर्थिक सशक्तिकरण:

- ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वरोजगार और स्वयं सहायता समूह (SHG) योजनाओं के तहत लगभग 50% महिलाएँ सक्रिय रूप से आर्थिक गतिविधियों में शामिल हैं।
- महिलाओं की औसत आय पुरुषों की तुलना में अभी भी कम है, और अधिकांश महिलाओं को स्वरोजगार या असंगठित क्षेत्रों में काम करना पड़ता है।

3. राजनीतिक भागीदारी:

- 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए कम से कम33% आरक्षण अनिवार्य किया गया।

- वर्तमान में लगभग 30 लाख महिला प्रतिनिधि विभिन्न पंचायत और स्थानीय निकायों में कार्यरत हैं।
- हालांकि, निर्णय प्रक्रिया में पुरुषों के हस्तक्षेप और "सर्पंच पति" जैसी समस्याएँ अभी भी मौजूद हैं।

4. सामाजिक जागरूकता और सुरक्षा:

- महिलाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
- फिर भी, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और असमान स्वास्थ्य सेवाएँ सशक्तिकरण की राह में प्रमुख बाधाएँ हैं।

5. राज्यों और क्षेत्रों के अनुसार अंतर:

- केरल, पंजाब और महाराष्ट्र में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक भागीदारी उच्च स्तर पर है।
- बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में सामाजिक रूढ़िवादिता और गरीबी के कारण महिला सशक्तिकरण की स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण है।

परिणाम और निष्कर्ष:

परिणाम:

डेटा विश्लेषण और शोध के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख परिणाम सामने आए हैं:

1. **शिक्षा में सुधार:** महिलाओं की शिक्षा स्तर में लगातार वृद्धि हुई है, विशेषकर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर। उच्च शिक्षा में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।
2. **आर्थिक भागीदारी में वृद्धि:** स्वरोजगार, स्वयं सहायता समूह (SHG) और छोटे व्यवसायों के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ी है। इससे उनकी आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हुआ है।
3. **राजनीतिक सशक्तिकरण:** पंचायती राज और स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महिलाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में सक्रिय नेतृत्व दिखाया है।
4. **सामाजिक जागरूकता:** महिला सशक्तिकरण के प्रयासों से लैंगिक समानता, स्वास्थ्य, पोषण और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
5. **मुख्य चुनौतियाँ:** सामाजिक रूढ़िवादिता, आर्थिक असमानता, राजनीतिक हस्तक्षेप, सुरक्षा संबंधी समस्याएँ और स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता जैसी चुनौतियाँ अब भी महिलाओं के पूर्ण सशक्तिकरण में बाधक हैं।

निष्कर्ष:

अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि महिला सशक्तिकरण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज और राष्ट्र के समग्र विकास में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से महिलाएँ न केवल अपने जीवन में सुधार ला रही हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में भी सक्रिय योगदान दे रही हैं।

हालांकि, सशक्तिकरण की पूर्ण प्रक्रिया तभी सफल हो सकती है जब महिलाओं को समान अवसर, शिक्षा, प्रशिक्षण, आर्थिक संसाधन और सामाजिक समर्थन सुनिश्चित किया जाए। महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं का अधिकार नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति का महत्वपूर्ण आधार है।

सुझाव:

महिला सशक्तिकरण को और प्रभावी बनाने और उसकी चुनौतियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव महत्वपूर्ण हैं:

1. शिक्षा और प्रशिक्षण: महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर बढ़ाने चाहिए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और आधुनिक समाज में बराबरी से भाग ले सकें।

2. आर्थिक सशक्तिकरण: स्वरोजगार, लघु उद्योग, महिला उद्यमिता और वित्तीय सहायता योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

3. राजनीतिक भागीदारी: महिलाओं को पंचायत, नगर निगम और राजनीतिक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही उनके निर्णयों में हस्तक्षेप को कम करना आवश्यक है।

4. सामाजिक जागरूकता अभियान: समाज में लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जाएँ। पारंपरिक रूढ़िवादिता और भेदभाव को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

5. सुरक्षा और स्वास्थ्य: महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ और पोषण संबंधी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न जैसी समस्याओं के प्रति सख्त कानूनी प्रावधान लागू किए जाने चाहिए।

6. नेटवर्किंग और अनुभव साझा करना: महिलाओं के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म बनाए जाएँ, जिससे वे अपने अनुभव साझा कर सकें और नेतृत्व कौशल विकसित कर सकें।

7. सकारात्मक उदाहरणों को बढ़ावा देना: सफल महिला नेताओं और उद्यमियों के उदाहरणों को उजागर किया जाए, जिससे अन्य महिलाओं को प्रेरणा मिले और उनका आत्मविश्वास बढ़े।

संदर्भ सूची:

1. भारत सरकार (2015). भारत में महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
2. यूएन वूमेन (2014). भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण। संयुक्त राष्ट्र।
3. विश्व बैंक (2012). महिला सशक्तिकरण: विकास में लैंगिक समानता। वाशिंगटन, डीसी।
4. एनसीआरबी (2014). क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत सरकार।
5. योजना आयोग (2013). बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017): लैंगिक मुद्दे। भारत सरकार।
6. जे.जे.भॉय, एस. (1995). भारत में महिलाओं की शिक्षा, स्वायत्तता और प्रजनन व्यवहार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
7. बोसिरप, ई. (2007). आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका। अर्थस्कैन।
8. यूएनडीपी (2010). मानव विकास रिपोर्ट: लैंगिक असमानता सूचकांक।
9. अमर्त्य सेन (1999). स्वतंत्रता के रूप में विकास। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
10. स्वैन, आर. एवं वॉलेन्टिन, एफ. (2009). क्या माइक्रोफाइनेंस महिलाओं को सशक्त करता है? इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स।